

दिल्ली विकास प्राधिकरण खेल विंग: समन्वयक। कक्ष
सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली-110 049

विषय: डीडीए रोहिणी खेल परिसर (आरएस सी) में स्कैश कोचिंग आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एन आई पी) ।

पृष्ठभूमि:

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) विभिन्न खेल विषयों में कोचिंग आयोजित करने के लिए पेशेवर खेल प्रशिक्षकों/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके लिए राजस्व साझाकरण के आधार पर दिल्ली में डीडीए खेल परिसरों में सुविधाएं उपलब्ध हैं।

2. वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) निम्नलिखित खेल परिसरों का संचालन करता है, जिसमें आश्रितों को छोड़कर कुल 53140 से अधिक सदस्य हैं और मासिक आधार पर लगभग 260567 व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इन खेल परिसरों में 7977 से अधिक प्रशिक्षुओं के साथ लगभग 162 कोचिंग योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

1. चिल्ला खेल परिसर
2. सीडब्ल्यूजी ग्राम खेल परिसर
3. पूर्व दिल्ली खेल परिसर, दिलशाद गार्डन
4. यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार
5. राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतम पुरा
6. रोहिणी खेल परिसर
7. मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अशोक विहार
8. साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
9. सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
10. स्कैश और बैडमिंटन स्टेडियम, सिरी फोर्ट
11. वसंत कुंज खेल परिसर
12. नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जसोला
13. द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-11
14. हरि नगर खेल परिसर
15. पश्चिम विहार खेल परिसर
16. द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-17

3. सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए उपरोक्त खेल परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं पर कोचिंग प्रदान की जाती है। डीडीए बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के साथ-साथ सुविधाओं का रखरखाव भी करता है जबकि पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियां कोचिंग प्रदान करती हैं।

नियम और शर्तें:

4. कोचिंग राजस्व साझाकरण के आधार पर प्रदान की जाती है। सभी आउटडोर कोचिंग के लिए कोचिंग शुल्क का हिस्सा क्रमशः कोच/एजेंसी और डीडीए के बीच 60:40 होगा। हालाँकि, उन सुविधाओं के लिए जिनके लिए डीडीए अधिकांश प्रशिक्षण सहायता और इनडोर सुविधाएं प्रदान करता है, साझाकरण का अनुपात 50:50 होगा।

5. खेल में क्षमता रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कम से कम 10% प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षकों/कोचिंग एजेंसियों द्वारा अनिवार्य मुफ्त कोचिंग प्रदान की जानी है। जहां प्रशिक्षकों/एजेंसियों ने न्यूनतम संख्या में प्रशिक्षुओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान नहीं की है, वहां कोचिंग अनुबंधों का विस्तार नहीं किया जाएगा। यदि

प्रबंधन कुल प्रशिक्षुओं की संख्या के 10% से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कोचिंग प्रदान करना उचित समझता है, तो प्रबंधन अनिवार्य 10% से अधिक ईडब्ल्यूएस प्रशिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के लिए कोचों/एजेंसियों को कोचिंग फीस के उनके हिस्से का भुगतान करेगा। .

6. कोचिंग प्रदान करने के लिए सप्ताह के दिन और समय आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार प्रबंधन द्वारा तय किए जाएंगे।
7. पेशेवर प्रशिक्षकों/कोचिंग एजेंसियों को वरीयता क्रम में खेल परिसर की प्राथमिकता दर्शाते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावों में कोच/सहायक प्रशिक्षकों का विवरण शामिल होना चाहिए जो कोच और/या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में अपनी योग्यता, अनुभव और उपलब्धि के साथ कोचिंग प्रदान करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। कोचिंग में मान्यता के लिए पुरस्कारों और प्रशिक्षुओं की उपलब्धि का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. एजेंसी (कोई व्यक्ति नहीं है) को उस खेल में कोचिंग देने का कम से कम 5 साल का पूर्व अनुभव होना चाहिए जिसमें उसने आवेदन किया है। संलग्न जाने वाला कोचिंग एक्सपीरियंस क्लब, सरकार द्वारा प्राप्त स्केच / आर्टिस्ट / अन्य छात्र, खेल संघ, सरकारी यूक्रेन आदि से होना चाहिए। यदि रिवोल्यूशन एक व्यक्ति है तो उसे मुख्य कोच होना चाहिए।
9. यदि एक से अधिक एजेंसियों द्वारा एक ही मुख्य कोच और सहायक कोच सहित अन्य कोचों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो इन एजेंसियों की बोलियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, प्रशिक्षकों, सहायक प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को यह वचन देना होगा कि उन्होंने केवल एक विशेष एजेंसी के लिए कोचिंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है, किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं।
10. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वप्रमाणित होंगे। आवेदन के साथ संलग्न प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं प्रमाण पत्र प्रशिक्षकों एवं सहायक प्रशिक्षकों द्वारा स्वप्रमाणित किये जायेंगे।
11. किसी भी अनुशासन में किसी भी कोच/कोचिंग एजेंसी को अधिकतम दो खेल परिसर दिए जाएंगे।
12. पीक आवर्स के दौरान खेल परिसरों में खेल सुविधाएं, यानी, सुबह 6.00 बजे से 8.00 बजे और शाम 6.00 बजे तक। रात्रि 8.00 बजे तक आमतौर पर कोचिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगा और इन समयों के दौरान सुविधाओं का उपयोग विशेष रूप से सदस्यों के लिए होगा। हालाँकि, यदि कोई अतिरिक्त क्षमता है, जैसा कि कॉम्प्लेक्स के सचिव द्वारा मूल्यांकन किया गया है, तो शर्तों के अधीन, इन घंटों के दौरान भी कोचिंग की अनुमति दी जा सकती है।
13. प्रत्येक खेल परिसर में, प्रत्येक अनुशासन में आमतौर पर एक विशेष स्तर की कोचिंग के लिए केवल एक कोचिंग अनुबंध प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, कोचिंग के विभिन्न स्तरों, यानी, एक ही अनुशासन में बुनियादी, मध्यवर्ती और अग्रिम के लिए, एक विशेष परिसर में अलग-अलग कोच/एजेंसियाँ हो सकती हैं। हालाँकि, सुविधाओं की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर, किसी खेल परिसर में किसी भी स्तर की कोचिंग में एक से अधिक कोचिंग अनुबंध भी दिए जा सकते हैं।
14. सभी खेल परिसरों में सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए कोचिंग दरों में अंतर गैर-सदस्यों के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क पर एक समान होगा।
15. सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित मासिक शुल्क को प्रस्ताव की वित्तीय बोली में अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। गैर-सदस्यों के लिए शुल्क सदस्यों द्वारा देय शुल्क से 25% अधिक होगा। कोचिंग फीस पर लागू जीएसटी लगाया जाएगा। सदस्यों से ली जाने वाली प्रस्तावित मासिक फीस अनुबंध-III में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक अलग सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। हालाँकि, मासिक कोचिंग शुल्क के अलावा, कोच/एजेंसियों को कोई वापसी योग्य/गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग शुल्क संबंधित खेल परिसर द्वारा एकत्र किया जाएगा और कोच/एजेंसी का हिस्सा अगले महीने के 7 वें दिन या उससे पहले परिसर द्वारा एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा प्रेषित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं से एक बार में केवल एक माह की अग्रिम कोचिंग फीस ली जाएगी।
16. किसी विशेष अनुशासन में समान स्तर की कोचिंग की दरें कॉम्प्लेक्स के स्थान और सदस्यता प्रोफाइल के अनुसार कॉम्प्लेक्स के बीच तुलनीय होनी चाहिए।
17. प्रशिक्षकों/एजेंसियों को अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त इनपुट, प्रशिक्षण सहायता और खेल उपकरण की लागत का विवरण स्पष्ट रूप से बताना होगा, जिसे वे अनुरोध पर प्रशिक्षुओं को प्रदान करना चाहते हैं। इन इनपुट, उपकरण आदि के लिए विशिष्टताओं और दरों को कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा और इसे खेल परिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कोचिंग अनुबंध में भी उल्लेख किया जाएगा। उसमें उल्लिखित वस्तुओं के अलावा, प्रशिक्षुओं को भुगतान के आधार पर कोई अन्य वस्तु प्रदान नहीं की जा सकती है। अनुमोदित वस्तुओं की दरों में किसी भी बदलाव के लिए प्रशिक्षकों/एजेंसियों को प्रबंधन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन अनुमोदित वस्तुओं

का भुगतान सीधे प्रशिक्षकों/एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनसे होने वाले राजस्व का कोई हिस्सा डीडीए को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे किसी भी विचलन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग अनुबंध के विस्तार की समीक्षा के समय इस पर विचार किया जाएगा।

18. मुख्य कोच, कोच और सहायक कोच, जिनका नाम एजेंसी/आवेदक ने एनआईपी के लिए बोली के समय प्रस्ताव में शामिल किया है, को यह कहते हुए एक पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे उपलब्ध हैं और एजेंसी के लिए कोच के रूप में काम करने के इच्छुक हैं, यदि एजेंसी को कोचिंग अनुबंध प्रदान किया गया है। कोच/एजेंसियाँ अपने कोचिंग प्रस्ताव में प्रस्तुत मुख्य कोच को नहीं बदल सकती हैं। सहायक प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ में बदलाव की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए परिसर के सचिव से मंजूरी लेनी होगी। उन कर्मचारियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा जिनके पास प्रारंभिक प्रस्ताव में उल्लिखित समान योग्यता और अनुभव है जिसका मूल्यांकन किया गया था। अनुपालन न करने पर कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

19. प्रशिक्षक/एजेंसियाँ प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी चोट, जीवन हानि आदि के लिए डीडीए को क्षतिपूर्ति देंगी।

20. डीडीए द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए किसी भी कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं की भागीदारी के लिए कोच/एजेंसियाँ पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

21. कोचों/अकादमियों को अपनी अकादमियों का नामकरण/ब्रांडिंग करते समय डीडीए का नाम शामिल करने की अनुमति होगी।

22. कोचिंग के लिए क्लबों से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23. सभी प्रशिक्षुओं को कोचिंग के नियमों और शर्तों के विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा और प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी चोट, जीवन की हानि आदि के लिए डीडीए को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

प्रस्तावों का मूल्यांकन:

24. मूल्यांकन पूरी तरह से सहायक दस्तावेजों के आधार पर होगा और योग्यता, अनुभव और उपलब्धियों के सभी विवरण केवल तभी चिह्नित किए जाएंगे जब प्रस्ताव के साथ सहायक दस्तावेज जमा किए जाएंगे।

25. एक समिति प्रत्येक खेल परिसर में एक विशेष अनुशासन में कोचिंग के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन योग्यता, कोच और सहायक कोच के अनुभव, एक खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियों, एक कोच के रूप में उपलब्धियों, कोचिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रस्तावित पद्धति और प्रशिक्षुओं की प्रगति की निगरानी के आधार पर किया जाएगा। आदि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कुल 80 अंकों का होगा। केवल उन्हीं प्रशिक्षकों/एजेंसियों की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी जो अपनी तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में 80 में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेंगे। वित्तीय बोलियों के लिए 20 अंकों का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:-

L x 20
Rate

जहां 'एल' उस कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई सबसे कम कोचिंग फीस है जिसकी वित्तीय बोली खोली गई है और 'रेट' उस कोच/एजेंसी द्वारा जमा की गई कोचिंग फीस है जिसकी वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन का चित्रण इस प्रकार है:-

Coaching Rate submitted by applicant	Marks out of total 20 for financial bid
Rs. 1000 per month (lowest financial bid)	20
Rs. 1500 per month	13
Rs. 2000 per month	10

Rs. 2500 per month	8
Rs. 3000 per month	6

26. कोचिंग उस कोच/एजेंसी को प्रदान की जाएगी जो तकनीकी और वित्तीय बोलियों से उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करेगा। यदि एजेंसियां/कोच समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, तो कोचिंग उस एजेंसी को प्रदान की जाएगी जिसने तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं।

अन्य नियम और शर्तें:

27. कोचिंग एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर दी जाएगी, जिसे अधिकतम कुल पांच वर्षों की अवधि के लिए सालाना बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में कोचिंग अनुबंध को पाँच साल की कुल अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है।

28. प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात का उल्लेख किया जाये। सभी प्रस्तावों में पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण, फोन नंबर, सेल फोन नंबर और आवासीय पते के साथ सभी प्रशिक्षकों, सहायक प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की विस्तृत प्रोफाइल शामिल होनी चाहिए। उन संस्थानों से प्रशिक्षकों/एजेंसियों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए जहाँ वे वर्तमान में कोचिंग दे रहे हैं या पूर्व में कोचिंग दे चुके हैं।

29. अनुबंधों के विस्तार पर अधिकतम पांच वर्ष के कार्यकाल के अधीन वार्षिक रूप से विचार किया जाएगा। मूल्यांकन प्रशिक्षुओं, माता-पिता/अभिभावकों की प्रतिक्रिया, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षुओं की उपलब्धि, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात, उत्पन्न राजस्व, प्रशिक्षण सहायता, उपयोग किए गए उपकरण और प्रौद्योगिकी और अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। खेल परिसर के नियम एवं विनियम।

30. नियमित कोचिंग के अलावा, विशेष रूप से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्रों के लिए विशेष कोचिंग शिविर भी पूर्व अनुमोदन के अधीन आयोजित किए जा सकते हैं।

31. कोचिंग के लिए डीडीए द्वारा आवंटित बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल कोचिंग के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसमें किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. यदि प्रशिक्षण उपकरणों के लिए भंडारण स्थान की आवश्यकता है, तो इसे प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह डीडीए के विवेक पर प्रदान किया जाएगा, यदि ऐसा भंडारण स्थान उपलब्ध है, तो पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर।

33. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे खेल परिसर में उस सुविधा का दौरा करें जिसके लिए वे कोचिंग के लिए प्रस्ताव जमा करना चाहते हैं और अपने प्रस्ताव जमा करने से पहले क्षमता का मूल्यांकन करें। इस संबंध में बाद में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. बोली पृष्ठ क्रमांकित होनी चाहिए और प्रस्ताव में शामिल पृष्ठों की कुल संख्या को कवरिंग लेटर में दर्शाया जाना चाहिए। यदि कोई संलग्नक संलग्न नहीं पाया जाता है तो डीडीए जिम्मेदार नहीं होगा।

35. यदि कोच या कोई सहायक कोच या सहायक कर्मचारी वर्तमान में किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में कार्यरत हैं, तो सशुल्क कोचिंग संचालित करने के लिए संबंधित संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवश्यक है। प्रस्तुत। यदि एनओसी जमा नहीं की जाती है और बाद में यह पता चलता है कि व्यक्ति ने अनधिकृत भुगतान वाली कोचिंग संचालित की है, तो कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

36. जीएसटी पंजीकरण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि कोच/एजेंसी की वार्षिक आय रुपये से कम है। 20 लाख, तो कोच/एजेंसी जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, जब और जब टर्नओवर रुपये से अधिक हो जाता है। 20 लाख, जीएसटी पंजीकरण तुरंत प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में कोच/एजेंसी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

37. मुख्य कोच को व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कोचिंग का वार्षिक विस्तार नहीं किया जा सकेगा।

38. तकनीकी बोलियाँ अनुबंध-I और II के अनुसार और वित्तीय बोलियाँ अनुबंध-III के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा की जानी चाहिए जिन पर क्रमशः "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" लिखा हो, जिसमें कोच/एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो। इन दोनों सीलबंद लिफाफों को एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर " रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्क्वैश की कोचिंग के लिए बोलियां" लिखा होना चाहिए।

39. उपरोक्त सभी पहलुओं सहित विस्तृत प्रस्ताव सचिव रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली विकास प्राधिकरण, सेक्टर -14, रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110085 को **22.05.2024** (शाम **4.00** बजे तक) तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अधूरे प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा. हालाँकि, यदि आवश्यक हो तो डीडीए से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

**TECHNICAL BID
DETAILS OF OFFER FOR COACHING**

S. No.	Particulars	Details
1	Name	
2	Registered address	
3	Name of Proprietor/ Director/ Administrative Head/Coach	
4	Type of Ownership	Proprietary/Partnership/Company/LLP
5	Proof of Support of above	Attach documents in support and list the documents attached here
6	Sport	List only one sport here. If more than one sport is sought then separate proposals to be submitted
7	Level/ Nature of Coaching to be offered	List level and if more than one level is offered then the differentiation to be amplified
8	No. of days of coaching/week and timings of coaching proposed (as mentioned in the NIP)	
9	Previous Coaching Experience	Attach documents in support and list the documents attached here
10	Names of Coaches/ Assistant Coaches/ Support staff to impart coaching	Attach annexure if required and list the same here.
11	Qualification of Head Coach	
12	Qualifications of Assistant Coaches	
13	No. of courts/ infrastructure required	Clearly specify the infrastructure required in terms of courts/grounds, duration proposed to be used and timing proposed.
14	Preference of sports complex in order of preference	List in order of preference. Any number can be listed but the allotment will be as per guidelines listed in the terms and conditions.
15	Trainer/ Trainee Ratio proposed	
16	Training Aids/ Equipment to be provided	

Place: Full name and signature of applicant

Date: Full name and signature of authorized signatory with seal of establishment (in case of agency)

Address:

Email:

Cell phone / landline No.

TECHNICAL BID**CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED**

S.No.	Documents to be submitted	Submitted	Remarks
1	Copy of Registration of firms (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
2	Copy of Registration certificate of EPF (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
3	Copy of Registration Certificate of ESI (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
4	Copy of Labour License (in case of agency)		Attach document as applicable or state not available or applicable
5	Copy of Income Tax Return for last 2 years		Attach document as applicable or state not available or applicable
6	Copy of GST Registration		Attach document as applicable or state not available or applicable
7	Copy of PAN/TAN Card		Attach document as applicable or state not available or applicable
8	List of clients with dates		
9	Proof of experience		
10	Last 2 years audited statement from Chartered Accountant		Attach document as applicable or state not available or applicable

Place:

Full name and signature of applicant

Date:

Full name and signature of authorized signatory with seal of establishment (in case of agency)

Address:

Email:

Cell phone / landline No.

FINANCIAL BID

1.	Full name of Coach/Authorized signatory and name of agency	
2.	Address, Cell phone number, e-mail ID	
3.	Sports discipline in which coaching is proposed to be conducted	
4.	Names of sports complexes (in order of preference where coaching is proposed to be conducted)	
5.	Number of days per week and timings for proposed coaching (as per NIP)	
6.	Monthly coaching fees for members (25% additional coaching fees for non-members) for each of the above mentioned sports complex(s). (Proposed coaching fees should be mentioned both in figures and words) If there is discrepancy, rate quoted in words would be considered.	

EVALUATION CRITERIA FOR ASSESSMENT (80 MARKS) OF TECHNICAL BIDS

Name(s) of Coach/Assistant Coaches/Support Staff
who would personally impart coaching :

Sl. No.	Criteria	Total marks	Weightage		Marks awarded	Remarks
1	Technical Qualifications of Coach (NIS qualified/ Federation approved certification/International degree/certification in coaching)	15	NIS degree/ certification	05		
			International degree/certification	05		
			Additional degree/ certification in the sport/sports science	05		
2	Coaching experience in years	15	Upto 5 years	05		
			5 to 10 years	05		
			Above 10 years	05		
3	Achievements as a player	10	Top 3 ranking in national open championship recognized by official federation in the sport	04		
			Medallist in international open meet recognized by official federation in the sport	04		
			Dronacharya/Arjuna/ Major Dhyan Chand Khel Ratna award or similar National award in the sport/multiple champion in international meets	02		
4	Achievements as a Coach	15	Trainee – medallist at national championship recognised by official federation in the sport	05		
			Trainee – medallist in international championship recognized by official federation in the sport	05		
			Multiple trainees – Medallists at national/international championships recognized by official federation in the sport	05		

5	Technical qualifications, experience and achievements of Assistant Coaches and other support staff	15	Technical qualifications of Assistant Coaches	05		
			Experience of Assistant Coaches	05		
			Technical qualifications and experience of other support staff/assistant coaches	05		
6	Technical equipment and training aids proposed to be utilized in coaching and proposed methodology of imparting training and monitoring progress of trainees	10	Technical equipment and training aids	05		
			Methodology for training and monitoring progress	05		
7	Total marks	80				

Proposals for coaching in Squash to be submitted for DDA Rohini Sports Complex

<u>S. No.</u>	<u>Name of Sports Complex</u>	<u>Sports/Fitness Disciplines with number of days and timings for coaching in a week</u>		
		<u>Sports/Fitness Discipline</u>	<u>Number of days for coaching in a week</u>	<u>Timings for each coaching</u>
1.	Rohini SportsComplex (RSC)	Squash	6 days (Monday Off)	Evening 05.00 p.m. to 07.00 p.m.